

फर्द अहकाम

(नियम 20)

सत्र अदालत न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट/अधिकारी, निवाई (टोंक-राज.)

के लोखी

बनाम

TJR

किसम मुकदमा प्रतीक का 128

नं०

१०/२०१०

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11/6/१०	<p>प्रावली की हरिलाल चोहरी एडवोकेट द्वारा पेश हुई। अपीलान किया गया। प्रतीक पत्र पर एडवोकेट द्वारा पेश हुआ तालवान की तालकी कालीगंज की होकर दिनांक 18/6/१० को पेश है।</p>	<p>926 19/6/10</p>
18/6/१०	<p>प्रावली पेश हुई। उक्त पक्ष उपस्थित / वकील प्राणी ने निवेदन किया की उनके स्वतंत्रता अधिकार के आस-पास के स्वतंत्रता से मेर कोर को हकेशा विवाह की स्थिति की रहती है। कतः पालनकारी करवाई जावे। उक्त पक्ष को सुना गया। प्रावली को अपीलान किया। प्राणी का प्रतीक पत्र स्वीकृत किया जाता है। तालकीलदार विचार को 500/- रुपये का कफिलान प्रदान किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वाद वगैरह वृत्ति खण. 370 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा को प्रक वृद्ध का निभानुकार जमीनान कर पालनकारी करायें। प्रावली फौजल सुनाए होकर प्रक कत हो तथा इफतार साखिल है।</p>	